40

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी-4547/2018/देवास/भू.रा.

निगरानी प्रकरण क्रमाक , /2018

कोशल्याबाई पिता देवाजी जाति भीलाला आयु 70 वर्ष धंधा कृषि
निवासी ग्राम बावड़ीखेड़ा तह. बागली जिला देवास म.प्र.
हा.मु. ग्राम अमलावती तह. व जिला देवास म.प्र. ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा प.ह.न. 29
   तह. बागली जिला देवास म.प्र.
2. बजेसिंह पिता स्व. दिलीपसिंह जाति भीलाला
3. गोपाल पिता स्व. दिलीपसिंह जाति भीलाला
4. ब्रजलाल पिता स्व. कल्याणसिंह जाति भीलाल
5. सुरेश पिता स्व. कल्याणसिंह जाति भीलाल
6. ओमप्रकाश पिता स्व. कल्याणसिंह जाति भीलाल
7. धापूबाई बैवा स्व. कल्याणसिंह जाति भीलाल
8. सोरमबाई बैवा स्व. हिरालाल जाति भीलाल
9. रमेश पिता स्व. हिरालाल जाति भीलाल
10. प्रकाश पिता स्व. हिरालाल जाति भीलाल
11. मायाबाई बैवा स्व. गंगाराम जाति भीलाल
12. नितिन पिता स्व. गंगाराम जाति भीलाल
13. पप्पु पिता स्व.गंगाराम जाति भीलाल
14. हरिसिंह पिता स्व. खुशाल जाति भीलाला
15. तुलसीराम पिता स्व. खुशाल जाति भीलाला
16. भॅवर पिता स्व. खुशाल जाति भीलाला
17. सन्तोष पिता स्व. खुशाल जाति भीलाला
18. रूस्तम पिता स्व. खुशाल जाति भीलाला
19. मांगीबाई बैवा स्व. खुशाल जाति भीलाला
20. महेश पिता स्व.रामचन्द्र जाति भीलाला
21. मुकेश पिता स्व. रामचन्द्र जाति भीलाला
22. श्यामुबाई बैवा स्व. रामचन्द्र जाति भीलाला
23. शोभाराम पिता दिलीपसिंह जाति भीलाला (मृत)

वैध वारिस-- अ) संगीताबाई बैवा शोभाराम जाति भीलाला
ब) ज्योती पिता शोभाराम जाति भीलाला

निरंतर 02 पर..................

स) निकिता पिता स्व. शोभाराम जाति भीलाल
द) सीमा पिता स्व. शोभाराम जाति भीलाला
इ) भावना पिता स्व. शोभाराम जाति भीलाला
निवासीगण ग्राम बावड़ीखेड़ा तह. बागली जिला देवास म.प्र.
24. कमलाबाई पिता स्व. खुशाल पति हरिसिंह जाति भीलाला
निवासी कालुखेड़ी तह. व जिला देवास म.प्र.
25. राजु पिता स्व. रामचन्द्र पति दिनेश जाति भीलाला
निवासी अन्दरतियो तह. व जिला देवास म.प्र.
26. भागवन्ताबाई पिता स्व. खुशाल पति भगवानसिंह जाति भीलाला
निवासी बिराखेड़ी तह. व जिला देवास म.प्र.
27. सीमा पिता स्व. रामचन्द्र पति जितेन्द्र जाति भीलाला
निवासी मांगलिया तह. व जिला इन्दौर म.प्र ......प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र.भु.रा.सं. के तहत

मान्यवर महोदय,

"निगरानीकर्ता की और से अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, बागली के न्यायालय में लम्बित अपील क्रमांक 36/अपील/2017–2018 में पारित आदेश दिनांक 23/04/2018 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है"

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :–

निगरानीकर्ता द्वारा धारा 115–116 एवं 89 म.प्र.भु.रा.स. के अन्तर्गत अपनी व प्रतिनिगरानीकर्ता के संयुक्त खाते की कृषि भुमि के सम्बंध में बन्दोबस्त के दौरान राजस्व अभिलेख में अपनी माता शेतानबाई का नाम कम होने एवं माता की मृत्यु होने से उसके स्थान पर स्वयं का नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किये जाने हेतु एक आवेदन पत्र माननीय जिलाधीश महोदय देवास के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे जिलाधीश महोदय, देवास द्वारा तहसीलदार महोदय बागली को उक्त आवेदन पत्र अंतरित करते हुए आवेदन पत्र पर गुण दोषो के आधार पर एवं जॉच कर निराकरण किये जाने हेतु आदेशित किया था। तहसील न्यायालय में प्रकरण ,क्रमांक 14/अ–6(अ)/2015–2016 पर दर्ज होकर दिनांक 04/04/2018 को आदेश पारित किया गया है तथा तहसील न्यायालय द्वारा अपने आदेश के अन्त में अमल इन्द्राज करने का आदेश देते हुए एक प्रति जिलाधीश महोदय एवं एक प्रति अनुविभागीय महोदय को प्रेषित की गई, आदेश के पालन में दिनांक 17/04/2018 को राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जा चुका है।

निरंतर 03 पर.....

कॉ अत्य/ अधिक

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(69)

(40)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 4447/2018/देवास/अ.4 जिला - देवास

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बागली के प्रकरण क्रमांक A/36/17-18 में पारित आदेश दिनांक 23-4-18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, देवास को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.10.19 को कलेक्टर, देवास के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	